न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 255/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पेमाराम पुत्र सवाराम उम्र 55 वर्ष जाती कुम्हार निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. कपूराराम पुत्र मावाराम उम्र 38 वर्ष 2. अर्जूनराम पुत्र पुरखाराम उम्र 3. कदणोंदेवी पत्नि पुरखाराम 4. पाबूराम पुत्र पुरखाराम उम्र 42 वर्ष 5. बाबूलाल पुत्र मावाराम उम्र 45 वर्ष 6. रूखमोदेवी पत्नि मावाराम 7. लाखाराम पुत्र मावाराम उम्र 45 वर्ष 8. वोताराम पुत्र रिड़मलराम उम्र 40 वर्ष 9. शंकरलाल पुत्र मावाराम उम्र 38 वर्ष 10. सोनाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 55 वर्ष 11. रावताराम पुत्र खुबाराम उम्र 28 वष 12. विशनाराम पुत्र खुबाराम उम्र 35 वर्ष 13. वीराराम पुत्र खुबाराम उम्र 23 वर्ष 14. प्रागाराम पुत्र शिवजीराम 15. मूलाराम पुत्र शिवजीराम 16. मालाराम पुत्र सवाराम उम्र 40 वर्ष जातियान कुम्हार निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 17. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम **1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एक़तरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 13.06.2023

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/4 रकबा 2.5484 हैक्टयेयर, खसरा संख्या 245/5 रकबा 2.4108 हैक्टयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/4 रकबा 2.5484 हैक्टयर, खसरा संख्या 245/5 रकबा 2.4108 हैक्टयर भूमी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यंह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/4 रकबा 2.5484 हैक्टयर, खसरा संख्या 245/5 रकबा 2.4108 हैक्टयर भूमी आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/4 रकबा 2.5484 हैक्टयर, खसरा संख्या 245/5 रकबा 2.4108 हैक्टयर भूमी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/4 रकबा 2.5484 हैक्टयर, खसरा संख्या 245/5 रकबा 2.4108 हैक्टयर भूमी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की

उपखण्ड अधिकारी

उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/4 रकबा 2.5484 हैक्टयर, खसरा संख्या 245/5 रकबा 2.4108 हैक्टयर भूमी के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी